राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

State Election Commission, Bihar

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 15 मई, 2026

नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन 2026: ई-वोटिंग सुविधा हेतु चिन्हित मतदाताओं के डेटा अपलोडिंग के संबंध में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन 2026 को आधुनिक एवं सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद के नेतृत्व में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं क्रमशः वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष),गर्भवती महिला, दिव्यांगजन, प्रवासी मजदूर एवं असाध्य रोग से ग्रसित मतदाता को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु उनके डेटा को आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया से अवगत कराना था।

प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु:

- **ई-वोटिंग हेतु डेटा प्रबंधन:** प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूची में चिन्हित विशेष श्रेणी के मतदाताओं का सर्वे पूर्ण कर उन्हें आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करने के तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
- **समय-सीमा का निर्धारण:** आयोग द्वारा चिन्हित मतदाताओं के डेटा को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु **15.05.2026 से 01.06.2026** तक की तिथि निर्धारित की गई है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
- **प्रतिभागी:** इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी (मतदाता सूची), सभी संबंधित निबंधन पदाधिकारी, उनके आई.टी. सहायक एवं जिलों की तकनीकी टीमें सम्मिलित हुईं।

प्रशिक्षण के अंत में तकनीकी टीम द्वारा अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया गया ताकि पोर्टल पर डेटा अपलोड करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो।

Scanned with OKEN Scanner

प्रशिक्षण सत्र के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने पारदर्शिता और सटीकता पर बल देते हुए कहा कि ई-वोटिंग की सुविधा निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाएगी। इस अवसर पर आयोग के सचिव श्री मुकेश कुमार सिन्हा, संयुक्त निर्वाचन आयुक्त श्री शंभू कुमार सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग,बिहार

Scanned with OKEN Scanner